भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
भारत सरकार / Government of India

दिनांक: **26-04-2024**

निर्देश

विषय : बेस स्टेशनों के विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 और समय-समय पर संशोधित सेवा की गुणवत्ता के मानक बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 (2009 का 7) के तहत निर्देश।

फाइल सं.-डी-22/1/(1)/2024-क्यूओएस ---- जबकि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाएगा), जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) (जिसे इसके पश्चात् " भादूविप्रा अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित किया गया है, को अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए कतिपय कार्यों का निर्वाहन सौंपा गया है; जिसमें अनुज्ञप्ति के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना; विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर-संबंध सुनिश्चित करना; सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाओं का आवधिक सर्वेक्षण कार्य सौंपना ताकि दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके;

2. और जबकि भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, प्राधिकरण द्वारा बुनियादी दूरसंचार सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 (2009 का 7) दिनांक 20 मार्च 2009 (इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) कि सेवा की गुणवत्ता के मानक बनाए गए;

3. और जबकि विनियमों का विनियम 5 सेवा की गुणवत्ता मापदंडों को विनिर्धारित करता है जिसके संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी है;

4. और जबकि, विनियमों के विनियम 5 में यह भी प्रावधान किया गया है कि नोट 5 के नीचे दी गई तालिका में दिए गए डीसीआर कोड का उपयोग उक्त कोड के अनुरूप कारणों या परिस्थितियों के लिए किया जाएगा;

5. और जबकि सेवा प्रदाता प्रत्येक तिमाही के अंत के इक्कीस (21वें) दिनों के भीतर पोर्टल (https://dcr.trai.gov.in/) के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में बेस स्टेशनों और ड्रॉप कॉल रेट (डीसीआर) मैट्रिक्स का विवरण प्राधिकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं;

6. और जबकि प्राधिकरण ने पाया है कि बेस स्टेशनों के विवरण प्रस्तुत करने के वर्तमान प्रारूप में निम्न बिन्दुएं शामिल नहीं है:

(i) बेस स्टेशनों के चालू होने या बंद होने की तारीख का विवरण ,
(ii) प्रत्येक बेस स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी के प्रकार, यानी फाइबर/वायरलेस/अन्य का विवरण, और
(iii) ऐसे 5जी बेस स्टेशनों और सेल का विवरण ;

7. और जबकि प्राधिकरण ने निम्नलिखित बिंदुओं पर भी गौर किया है:

(i) ड्रॉप कॉल रेट (डीसीआर) मैट्रिक्स का विश्लेषण करते समय, डीसीआर के लिए प्राधिकरण को रिपोर्ट की गई बड़ी संख्या में परिस्थितियाँ, जो 6.3% तक हैं, डीसीआर कोड 'डीएनई' के अंतर्गत हैं (मौजूद नहीं हैं)। बीटीएस/नोड संचालन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बेस स्टेशनों/नोड्स के चालू होने या डी-कमीशन होने की तारीख का विवरण, सही डीसीआर कोड के उपयोग को सत्यापित करने के लिए आवश्यक है।

(ii) किसी भी बेस स्टेशन की सेवा वितरण की गुणवत्ता बैक-हॉल कनेक्टिविटी की क्षमता/प्रकार पर भी निर्भर करती है, इस प्रकार, क्यूओएस पर बैकहॉल के प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक बेस स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी के प्रकार, यानी फाइबर/वायरलेस/अन्य का विवरण आवश्यक है; और

(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा काफी संख्या में 5जी साइटें चालू की गई हैं और सब्सक्राइबरों के बड़े आधार को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इसलिए, सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के उद्देश्य से ऐसे 5जी बेस स्टेशनों और सेल का विवरण आवश्यक है;

8. और जबकि, पिछले पैरा में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने बेस स्टेशनों के विवरण प्रस्तुत करने के प्रारूप को संशोधित करने का निर्णय लिया है;

9. इसलिए, प्राधिकरण, भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण **अनुलग्नक-I** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार प्रत्येक तिमाही के अंत के इक्कीस (21वें) दिनों के भीतर पोर्टल (https://dcr.trai.gov.in/) के माध्यम से बेस स्टेशन का विवरण प्रस्तुत करने तथा बेस स्टेशन का विवरण जमा करते समय **अनुलग्नक-II** में संलग्न दिशानिर्देश को पालन करने हेतु सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को एतद् द्वारा निर्देश देता है।

10. यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नक: यथोपरि

Signed by
Tejpal Singh
Date: 03-05-2024 15:46:56

सलाहकार (क्यूओएस-I)

फ़ोन: 011-23664516

सेवा में,

सभी एक्सेस सेवा प्रदाता

अस्वीकरण: यह निर्देश मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए निर्देश का हिंदी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, निर्देश का अंग्रेजी लिखित संस्करण मान्य होगा।

अनुलग्नक-I

बेस स्टेशन का विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप

क्रम सं.	सेवा प्रदाता	एलएसए कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ज़िला	शहर/नगर/गांव	पिन कोड	प्रत्येक बेस स्टेशन के अंतर्गत सेल वैश्विक पहचान (सीजीआई) के साथ प्रौद्योगिकी-वार	साइट (स्थान) की आईडी	अक्षांश	देशान्तर	यूनिक बेस स्टेशन आईडी	साइट का प्रकार (मैक्रो/माइक्रो/आईबीएस) /अन्य)	प्रौद्योगिकी (2जी/3जी/4जी/5जी)	रेडियटिंग फ्रीक्वन्सी बैंड (विकिरण आवृत्ति बैंड) (मेगाहर्ट्ज)	मीडिया कनेक्टिविटी के प्रकार (फाइबर/वायरलेस/अन्य)	बेस स्टेशन के चालू होने की तिथि	बेस स्टेशन के डी-कमीशनिंग की तारीख, यदि कोई हो

<u>अनुलग्नक-II</u>

बेस स्टेशन का विवरण प्रस्तुत करते समय पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश

1. एलएसए में कार्यरत सभी प्रौद्योगिकी के सभी बेस स्टेशनों/सेलों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। तिमाही में कम से कम एक दिन काम करने वाले सभी बेस स्टेशनों/सेलों को शामिल किया जाना चाहिए।
2. निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण सही ढंग से भरे जाने चाहिए। कोई भी कक्ष/पंक्ति/स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
3. सभी एलएसए के लिए सेवा प्रदाता का नाम एक समान रूप से भरा जाना चाहिए।
4. नीचे दिए गए अनुसार सही एलएसए कोड 'एलएसए कोड' कॉलम के अंतर्गत भरा जाना चाहिए:

क्र.सं.	एलएसए नाम	एलएसए कोड		क्र.सं.	एलएसए नाम	एलएसए कोड
1	आंध्र प्रदेश	एपी		12	मध्य प्रदेश	एमपी
2	असम	एएसएम		13	महाराष्ट्र	एम.एच
3	बिहार	बीआर		14	मुंबई	मुम
4	दिल्ली	डेल		15	उत्तर पूर्व	एनई
5	गुजरात	गुज		16	ओडिशा	ओआर
6	हरियाणा	हर		17	पंजाब	पीबी
7	हिमाचल प्रदेश	एच.पी		18	राजस्थान	राज
8	जम्मू और कश्मीर	जेके		19	तमिलनाडु	टीएन
9	कर्नाटक	केटीके		20	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	यूपीई
10	केरल	केआरएल		21	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	यूपीडब्ल्यू
11	कोलकाता	कोल		22	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी

5. स्थानीय सरकारी निर्देशिका (https://lgdirectory.gov.in/) पर उल्लिखित अनुसार सही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला भरा जाना चाहिए।
6. शहर/नगर/गांव' कॉलम के तहत अलग-अलग सेल के लिए एक ही शहर/नगर/गांव का नाम एक ही तरीके से उल्लिखित किया जाना चाहिए।
7. 'पिनकोड' कॉलम के अंतर्गत सही पिन भरना चाहिए। यह छह अंकों का संख्यात्मक मान होना चाहिए।
8. बेस स्टेशनों के तहत प्रत्येक सेल का विवरण उसके सीजीआई के साथ अलग पंक्ति में भरा जाना चाहिए।
9. कॉलम 'साइट (स्थान) आईडी' साइट की भौतिक आईडी, यदि कोई है, से भरा जाना चाहिए, अन्यथा स्थान का नाम भरा जा सकता है।

10. अक्षांश एवं देशांतर 5 दशमलव स्थानों तक सटीक होने चाहिए।
11. कॉलम 'यूनिक बेस स्टेशन आईडी' में बेस स्टेशन की आईडी होनी चाहिए।
12. साइट का प्रकार मैक्रो / माइक्रो / आईबीएस / अन्य से भरा जाना चाहिए।
13. कॉलम 'प्रौद्योगिकी' में प्रयोज्यता के अनुसार केवल निम्नलिखित मान शामिल होने चाहिए: 2जी, 3जी, 4जी, 5जी।
14. रेडियटिंग फ्रीक्वन्सी बैंड (विकिरण आवृत्ति बैंड)(मेगाहर्ट्ज) में फ्रीक्वन्सी बैंड का विवरण (मेगाहर्ट्ज में) होना चाहिए जिस पर सेल विकिरण हो रहा हो।
15. कॉलम 'मीडिया कनेक्टिविटी का प्रकार' में मीडिया के आधार पर फाइबर/वायरलेस/अन्य शामिल होना चाहिए, जिस पर बेस स्टेशन जुड़े हुए हैं।
16. यदि लागू हो तो बेस स्टेशनों की कमीशनिंग की तारीख और डी-कमीशनिंग की तारीख का उल्लेख दिन- महीना-वर्ष प्रारूप में किया जाना चाहिए।
17. एलएसए वार फाइलें भादूविप्रा के पोर्टल (https://dcr.trai.gov.in/) पर 'बीटीएस' श्रेणी के तहत अपलोड की जानी चाहिए।

******